FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

Mutation (Dakhil-Kharij) Appeal Case No.-12/2024

Raghav Kumar Jha ……………………………………..Appellant

Versus

State of Bihar & Other…………………………………Respondents

Serial No.	Date of order of procedding	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	09.1.2026	प्रस्तुत दाखिल-खारिज अपील वाद न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा के दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या-22/2021-22 (विजय चन्द्र ठाकुर बनाम अंचल अधिकारी, कहरा एवं अन्य) में दिनांक-30.11.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के धारा-8(2) में अंकित है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के 30 दिनों के भीतर समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर कर सकेगा। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष अपील/रिवीजन का प्रावधान निरूपित नहीं है। यह वाद इस न्यायालय में Maintainable नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। LCR निम्न न्यायालय को वापस भेजें। Raje K. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Raje K. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा